# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 47/24 GCMS NO 2024/158

कृष्णा कंवर पत्नि दलेल सिह जाति राजपूत निवासी पांचोलास तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र काना जाति तेली निवासी पांचोलास तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 5/18 निर्णय दिनांक 10.6.24 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री जगदीश प्रसाद शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री धीरेन्द्र पाल सिह

दिनांक 02.01.2025

## निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 10.6.24 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत इस आशय का पेश कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 850 रकबा 0.9000 है0 तथा ख0न0 851 रकबा 1.5000 है0 वाके ग्राम पांचोलास मे स्थित है। जिस पर आने जाने हेतु कदीमी रास्ता जो कि आराजी ख0न0 788, 789,818 मे होकर जा रहा है। जिसमे आराजी ख0न0 789 के खातेदार द्वारा रास्ता अवरूद्व करने व आराजी ख0न0 788 व 818 मे अतिक्रमण करते हुए तारो की फेंसिग कर दी गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने आराजी ख0न0 788,789 व 818 मे होकर प्रार्थीगण के खेत पर जा रहा आराजी ख0न0 850 व 851 के कदीमी रास्ते को आराजी ख0न0 788 व 818 पर अतिक्रमण करते हुए तारो की फेंसिग कर रास्ता अवरूद्व कर दिया एवं आराजी ख0न0 789 मे होकर जा रहे रास्ते को पूर्ण रूप से बंद कर दिया। जिसका आराजी ख0न0 788 व 818 का अतिक्रमण हटवाया जाकर आराजी ख0न0 789 मे से 12 फीट चौडा रास्ता नियमानुसार दिलाया जाकर रास्ता खुलासा कर नवीन रास्ता रेवेन्यू रिकार्ड मे दर्ज किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया उभयपक्ष अधिवक्तागणो की अपील पर सुनी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:43 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड अभिलेख का अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने हाल ट्रेस मे स्थित प्रस्तावित रास्ते के पश्चिम दिशा की ओर के खातेदारो को भी सुनवाई का अवसर नही दिया इसलिए निर्णय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रस्तावित चाहे गये रास्ते के लिंक रास्ता किस ख0न0 मे होकर आयेगा दर्ज नही किया है। तहसीलदार सवाई माधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट का सही तरीके से अवलोकन नही किया है। क्योकि प्रस्तावित रास्ता पूर्व दिशा मे होकर दिया जाता तो किसी भी खातेदार के हित प्रभावित नही होते। रेस्पो0 ने चाहे गये रास्ते के प्रकरण मे ख0न0 790,817 व 818 को भी पक्षकार नही बनाया गया इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय धारा 251 ए की व्याख्या भी विधि के प्रावधानो के विपरीत की गई है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 5.8.24 को होने से अपील अन्दर मियाद पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.6.24 को अपास्त फरमाया जावें।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया कि रेस्पो/प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 850 रकबा 0.9000 है0 तथा ख0न0 851 रकबा 1.5000 है0 वाके ग्राम पांचोलास मे स्थित है। जिस पर आने जाने हेतु कदीमी रास्ता जो कि आराजी ख0न0 788, 789,818 मे होकर जा रहा है। जिसमे आराजी ख0न0 789 के खातेदार द्वारा रास्ता अवरूद्व करने व आराजी ख0न0 788 व 818 मे अतिक्रमण करते हुए तारो की फेंसिग कर दी गई। अपीलांट ने आराजी ख0न0 788,789 व 818 मे होकर रेस्पो/प्रार्थीगण के खेत पर जा रहा आराजी ख0न0 850 व 851 के कदीमी रास्ते को आराजी ख0न0 788 व 818 पर अतिक्रमण करते हुए तारो की फेंसिग कर रास्ता अवरूद्व कर दिया एवं आराजी ख0न0 789 मे होकर जा रहे रास्ते को पूर्ण रूप से बंद कर दिया। जिसका आराजी ख0न0 788 व 818 का अतिक्रमण हटवाया जाकर आराजी ख0न0 789 मे से 12 फीट चौडा रास्ता नियमानुसार दिलाया जाकर रास्ता खुलासा कर नवीन रास्ता रेवेन्यू रिकार्ड मे दर्ज किये जाने की इस्तदुआ चाही गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर से तलब की गई। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा मौके पर जाकर तैयार की गई है। जिसको तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रेषित की गई है। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी/रेस्पो0 की आराजीयात पर पहुॅच का कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आराजी ख0न0 788 रकबा 0.40 है0 सिवायचक मे से 0.04 है0 , [illegible] है0 सिवायचक मे से 0.04 है0 एवं आराजी ख0न0 789 रकबा 0.10 है0 मे से [illegible] खातेदार रेस्पो/कृष्णा कंवर पत्नि दलेल सिह राजपूत मे कुल रकबा [illegible] [illegible] एवं चौडाई का रेस्पो/प्रार्थी के खेत पर आने जाने हेतु [illegible] गुना राशि जमा करान की शर्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:43 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

पर दिया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानो के तहत ही निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया गया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा अपने खातेदारी की आराजीयात भूमि ख0न0 850 रकबा 0.90 है0 तथा ख0न0 851 रकबा 1.50 है0 पर आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ता चाहा गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर से चाही गई। तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा मौके पर पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक मय राजस्व रिकार्ड के पहुँचकर राजस्व रिकार्ड व नक्शा शीट का मिलान किया जाकर मौका रिपोर्ट भिजवाई गई। मुताबिक मौका रिपोर्ट प्रार्थी/रेस्पो0 की जोत पर पहुँच कर कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही होना तथा ख0न0 788, 789, 818 मे से 12 फीट चौडाई मे रास्ता दिये जाने की रिपोर्ट प्रेषित की है। पत्रावली मे संलग्न नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार प्रार्थी/रेस्पो0 की जोत पर पहुँच कर लघुतम रास्ता ख0न0 788, 789, 818 से ही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की 1955 की धारा 251 ए के तहत निहित प्रावधानो के अनुरूप ही प्रार्थी/रेस्पो0 को डीएलसी दर की दो गुना राशि जमा कराने की शर्त पर रास्ता प्रदान किया गया है। किसी खातेदार की जोत तक पहुँच के लिए रास्ता एक अत्यधिक आवश्यकता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के अनुरूप होने से उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 5/18 निर्णय दिनांक 10.6.24 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner